संख्या-2401/9-3-91-249-सी/91

प्रेषक,

श्री वी०के० सक्सेना,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

1-शासन के समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव ।
2-समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश ।

नगर विकास अनुभाग-3

लखनऊ : दिनांक : 6 जून, 1991

विषय : उ०प्र० जल निगम द्वारा स्थापित कान्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज विंग को कान्सट्रक्शन एजेन्सी की मान्यता प्रदान करने तथा अन्य कार्यों को सम्पादित करने के लिये अधिकृत करने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे आपको यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि उ०प्र० जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975 (उ०प्र० अधिनियम संख्या-43, 1975) के अन्तर्गत धारा-14 की उपधारा-14 में दिये गये प्रावधान के अनुसार जल निगम की कान्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज विंग द्वारा जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था के कार्यों के साथ अन्य कार्यों को भी सम्पादित करने के लिये अधिकृत किये जाने का निर्णय शासन ने लिया है। कृपया तदनुसार अपने विभाग से सम्बन्धित कार्यों को कराये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही करने का कष्ट करें ।

भवदीय,

(वी०के० सक्सेना)
मुख्य सचिव ।

संख्या-2401(1)/9-3-91-249सी/91, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) अधीक्षक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ०प्र०, इलाहाबाद को गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ ।
(2) अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ को उनके पत्र संख्या-52/सी एण्ड डी० यूनिट/[illegible]/91, दिनांक 2-4-91 के सन्दर्भ में ।
(3) [illegible] उद्यान [illegible] ।
(4) [illegible] निगम परिषद [illegible] तत्काल सहायता प्राप्त संस्थान ।
(5) [illegible] अनुभाग-[illegible]

आज्ञा से,

(वी०के० सक्सेना)
मुख्य सचिव ।